संख्या-28/2021/51792/71-1-2021-जी-263/2015

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 15 फरवरी, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के सरोजनी नायडू बाल चिकित्सालय हेतु प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/01, दिनॉक 20.01.2021 के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के सरोजनी नायडू बाल चिकित्सालय हेतु प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत रू0 2491.93 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 996.77 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-87/2016/433/71-1-16-जी-263/2015, दिनॉक 30-03-2016 द्वारा अवमुक्त की गयी है।

2- आपके उक्त पत्र के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के सरोजनी नायडू बाल चिकित्सालय हेतु प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 424.20 लाख के सापेक्ष रू0 373.78 लाख (रू0 तीन करोड़ तिहत्तर लाख अठहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24-03-2020 एवं शासनादेश दिनॉक 07.04.2020, 11.04.2020 तथा 29.09.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

(4) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक /प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु करायी गई थर्ड पार्टी आडिट रिपोर्ट में दिये गये सुझावों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या 01 माह के अन्दर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(8) कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाये।

(9) शासनादेश संख्या-87/2016/433/71-1-2016-जी-263/2015, दिनांक 30.03.2016 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-11-राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020, दिनॉक 29 सितम्बर, 2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:- 28/2021/51792/71-1-2021 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
6- मुख्य अभियन्ता, यू0पी0 स्टेट कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यूपीसिडको) (पूर्ववर्ती उ0प्र0 समाज कल्याण निगम लि0) विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- नियोजन अनुभाग-4/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।